

5784
86

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. बार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम - सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
- 4- सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं० 12 के खसरा नं० 43,
- 5- मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर



विक्रय पत्र

6,287,293.00/ 6,287,293.00 5,005.00 20 5,025.00 1,000

प्रतिफल मालियत
श्री/श्रीमती कमल सिंह
पुत्र/पत्नी श्री मुख्तार सिंह
पेशा कृषि

निवासी स्थायी सादिकपुर उर्फ का
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 24/8/2006 समय 1:06PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

फीड एंजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग



के. के. यादव
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
24/8/2006

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने परमून न प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती कमल सिंह
पुत्र/पत्नी श्री मुख्तार सिंह
पेशा कृषि
निवासी सादिकपुर उर्फ का

क्रया

श्री/श्रीमती राकेश उष्यल
पुत्र/पत्नी श्री ब्रजमोन उष्यल
पेशा अन्य
निवासी नई दिल्ली

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री

पुत्र श्री एडो

पेशा वकिल

निवासी दिल्ली

व श्री अश्वि कुमार

पुत्र श्री सतवीर सिंह

पेशा अन्य

निवासी काजीपुरा

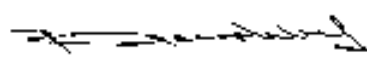
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र अधिकारों के विधान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



के. के. यादव
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
24/8/2006

- 6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.65766 हैक्टेयर
- 7- सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक
- 8- अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नेर इत्यादि) N.A
9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि
10. प्रतिफल की धनराशि 62,87,293/-रुपये

—  —
ल. अ. मल्लिक



विक्रेता

Registration No 5764

Year: 2006

Book No. 1

0101 कगल सिंह

मुख्यार सिंह

साहिबपुर जर्क काजीपुर

कृषि



केसा

Registration No 5764

Year : 2006

Book No. 1

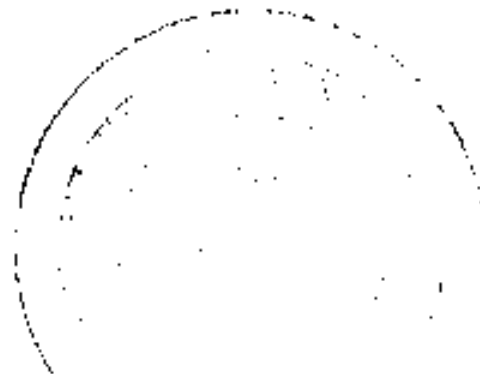
0201

राकेश अर्पल

प्रमाणित छात्र

नई दिल्ली

अ-ब



विक्रेता का विवरण:-

1. नाम कमल सिंह
पिता का नाम
श्री मुख्तियार सिंह
स्थायी पता सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
अस्थायी पता सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
व्यवसाय

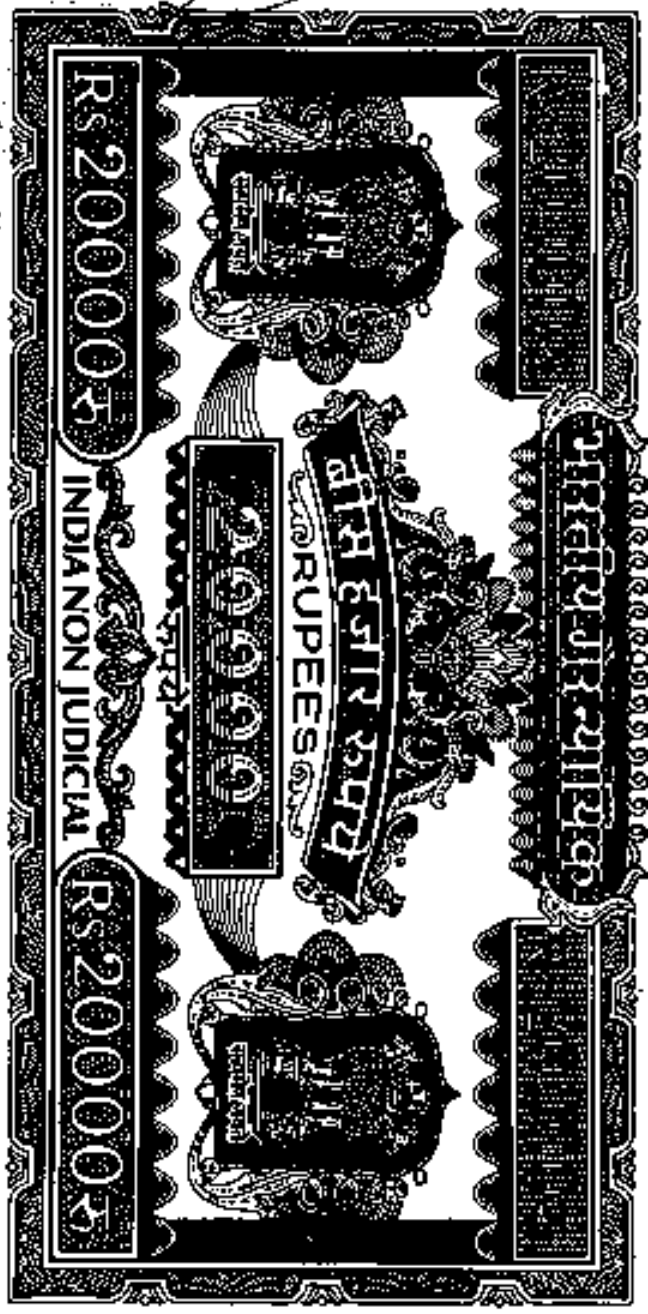
सिंह कमल सिंह



क्रेता का विवरण:-

1. नाम राकेश उप्पल
पिता का नाम
श्री ब्रजमोहन उप्पल
स्थायी पता नई दिल्ली
अस्थायी पता नई दिल्ली
व्यवसाय व्यापार





22 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080855

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र संकेत : 62,87,293/ रुपये ।
स्टाम्प पेपर संकेत : 6,28,800/ रुपये ।

मे कि कल सिंह पुत्र श्री मुख्तार सिंह निवासी- ग्राम सादिकपुर
उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (फरीक अव्वल,
विक्रेता) ।

मैसर्स पार्सन रिजल स्टेट प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्प्यूनिटी सेंटर एन.एफ.
सी. नई दिल्ली द्वारा श्री राकेश उप्पल पुत्र श्री ब्रजमोहन उप्पल निवासी-ए-334,
शिवालीक नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम क्रेता)।

दि ०८/०८/२०२३

Tejendra Singh
Advocate

409 Jan

22 AUG 2005

MIR KLK ETC GR. A. 214
J





22 Aug 2006
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080854

विक्रित भूमि का विवरण

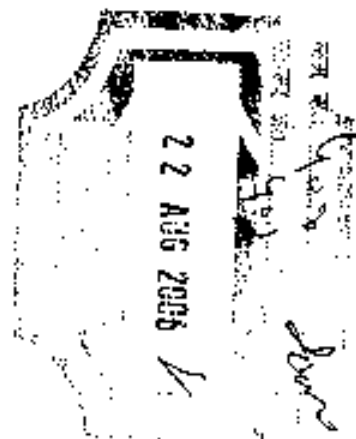
(2)

(1) विषय ग्राम सादिकपुर ठरई काजीपुरा परगना दासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), कृषि भूमि खाला नं० 12 के खसरा नं० 43 रकबाई 1.9730 हैकटेयर का 1/3 भाग रकबाई 0.65766 हैकटेयर अनुसार खालानी 1408 ता 1413 फसली बिसके फरीक अवसल (विकेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, संक्रमणीय भूमिधर दर्ज मालकागावत है, का बैमागा खाला में विक्रय किया गया। विक्रित भूमि हम फरीक अवसल (विकेता) की पैदाक भूमि है जिसके हम फरीक अवसल से पहले हमारे पिता स्व० श्री मुल्लावार सिंह पुत्र स्व० श्री मालिक थे ।

प्रमाणित किया जाता है

[Signature]

Jeendra Singh
Advocate
Civil Court
(U.P.)





22 JUL 2025

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080853

(3)

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 32,12,475/-रूपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन इस विक्रय पत्र में सर्किल रेट के दोगुने से अधिक रु 95,60,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 62,87,293/-रूपये (बासठ लाख सत्तासी हजार दो सौ तिरानवें रूपये मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है।

सुश-मल खिह



कम र. २९ २०४
२२ AUG 2036 ✓





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

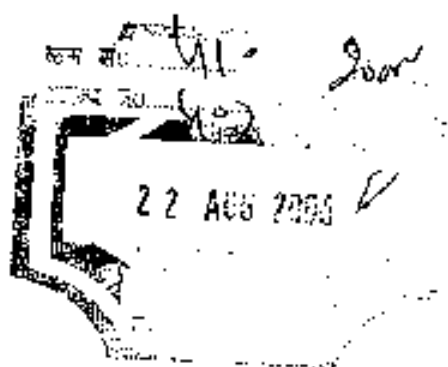
080852

(4)

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से नहीं है।

सि.प्र. अ.ल.वि.ल.







22 AUG 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

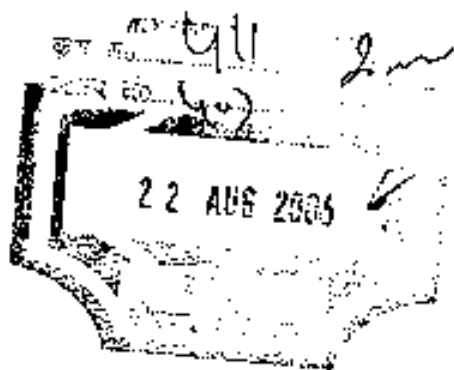
080851

(5)

(4) विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की भूमि नहीं है और व ही निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का

संश्लेषित







22 AUG 2005

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

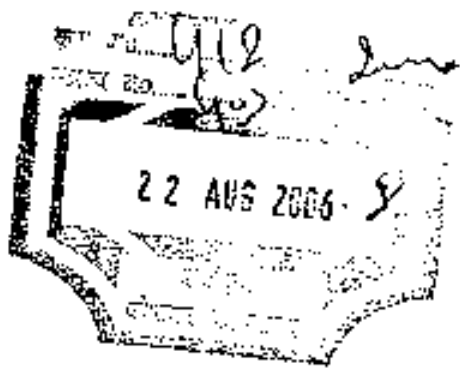
080850

(6)

विवाद है इस सन्दर्भ में विक्रेता ने संबन्धित श्री मान् तहसीलदार महोदय से प्रमाण

सि. ग. म. लि. किला







22 AUG 2006

उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

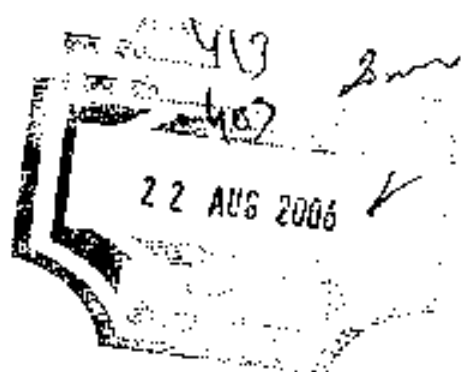
080849

(7)

पत्र प्राप्त कर लिया है। तथा विक्रीत भूमि किसी भी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कार्य हेतु अधिग्रहण के लिये अधिसूचित नहीं की गयी है।

[Handwritten signature]

दि० २२/०८/०६





22 AUG 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080848

(8)

(5) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्याम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

सि. ज. न्यायिक







22 AUG 2004
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080847

(9)

(6) यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा भी दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी

लि. नं. 12/12/12



435 21
22 AUG 2006





22 Nov 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080846

(10)

जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है। तत्समय
विक्रेता (फरीक अव्वल) ने बजरिये कोटेक महिन्द्रा बैंक लि० शाखा डी-960

सि.प्र.अ.प्र.सि.प्र.



का. सं. ५५६ २०००
प्रमाण सं. ५५७
22 AUG 2006





22 AUG 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

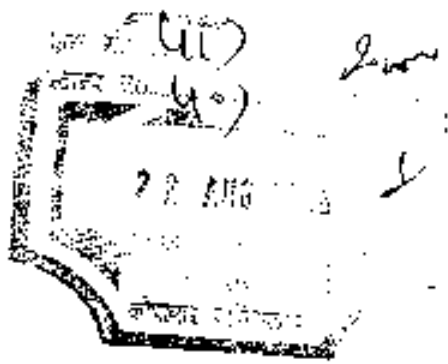
080845

(11)

फंडस कालौनी, नई दिल्ली, का चेक नम्बर 000010 दिनांकित 26.05.2006 अंकन 6,28,761/-रुपये (छः लाख अट्ठाईस हजार सात सौ इक्सठ रु० मात्र) को अग्रिम में प्राप्त कर लिये थे।

सि.शिवमन्त्र सिंह







080844

(7) विक्रीत भूमि खाता नं० 12 के खसरा नं० 43 रकबई 1.9730 हैक्टेयर का 1/3 भाग रकबई 0.65766 हैक्टेयर, स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना

मि० अ० - धन्य शिवा

412 2m
22 AUG 2000





22 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080843

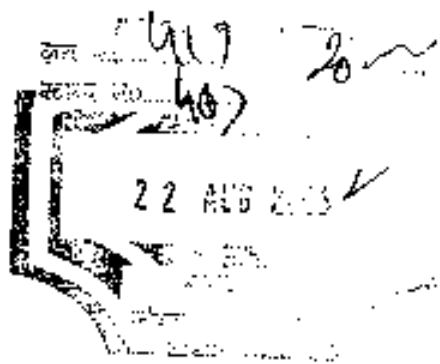
(13)

सुसन्त तहसील व जिला गाजियाबाद को आज इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय किया जा रहा है। अब विक्रित भूमि उक्त में विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण व वारिसान का कोई भाग व कुरा शेष नहीं रहा है।

[Signature]

कि.प्र.प्र.प्र.प्र.प्र.







22 AUG 2024
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080842

(14)

(8) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, व नक्शा व अपना

दिनांक १२/०८/२०२४



420 2000
400
22 AUG 1953





22 AUG 2024
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080841

(15)

जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र
भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

[Handwritten signature]

कि.प्र. गा.वि.सि.प.



24. 2007
22 Aug. 13



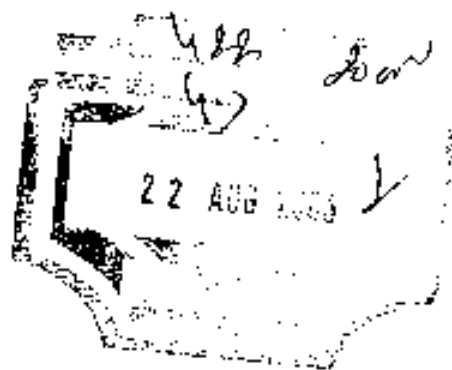


080840

(16)

(१) विक्रीत भूमि तबत आब दिन तक मुल्ल फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है कही अन्य

वि० अ० मल्लिकार्जुन





22 AUG 2036

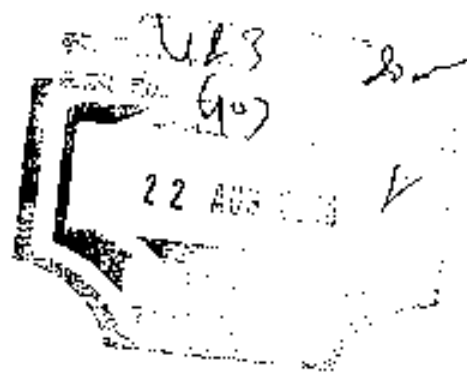
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080839

(17)

जगह आड, रहन, बय, हिवै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है।







22 AUG 2006
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

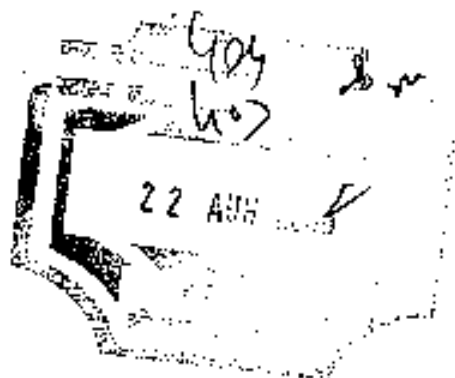
080838

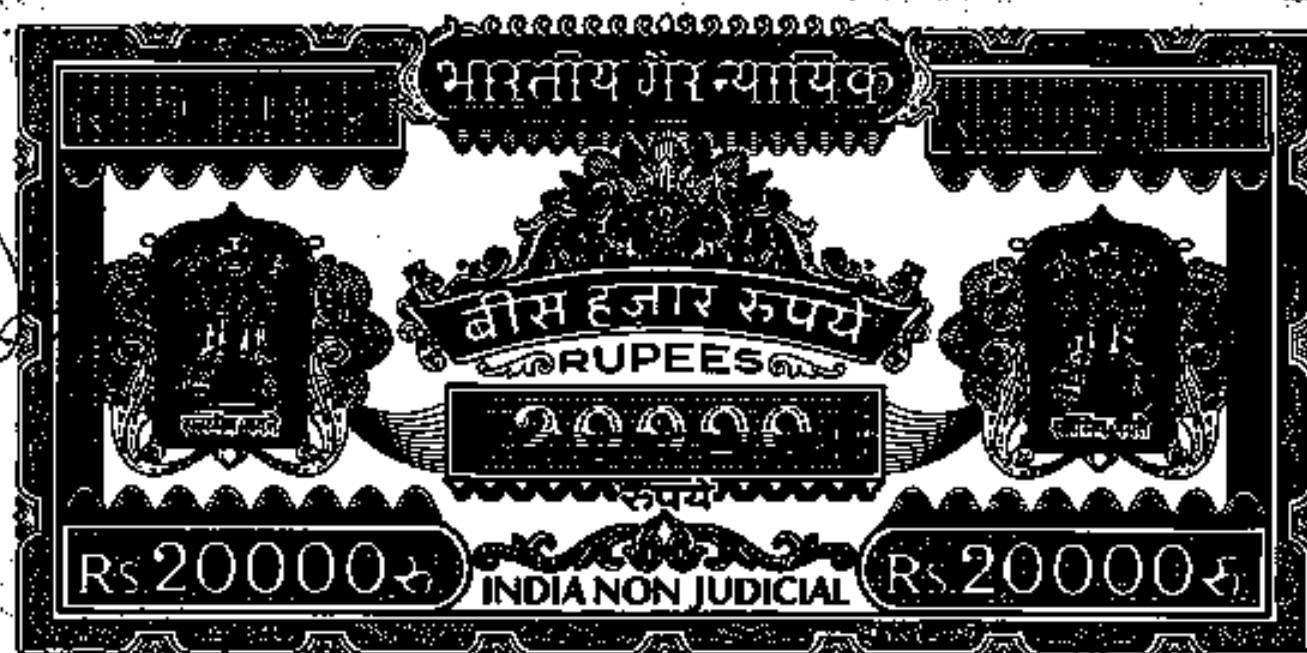
(18)

(10) विक्रीत भूमि वक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली का अन्य किसी प्रकार का ड्यूय भी नहीं है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का

विशेष अंकित







22 MAY 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

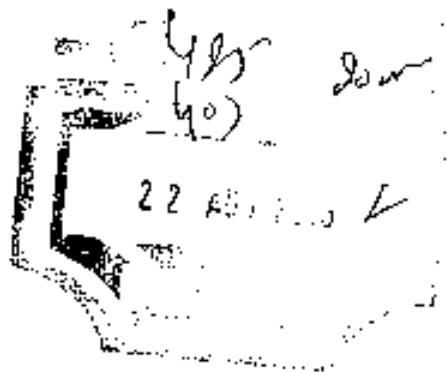
080837

(19)

विवाद-प्रस्त ममला किसी भी मान्य न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही सम्बन्धित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वयन ही सम्बन्धित है।

सि.रु.मल.सि.रु.







22 AUG 2006

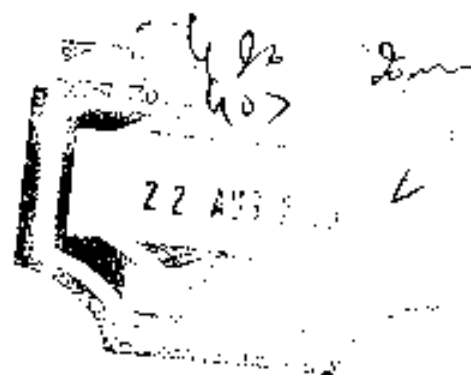
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080836

(20)

(11) विक्रीत मिल्कित उक्त के विक्रय मे कोई दोष व त्रुटि नही है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित /उल्लिखित भूमि के संबध मे हम







22 AUG 2004

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080835

(21)

विक्रेतागण ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व

मिशनरी प्रिंट



497 Jan
22 AUG 2006 ✓





c 2. 2806 2806

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

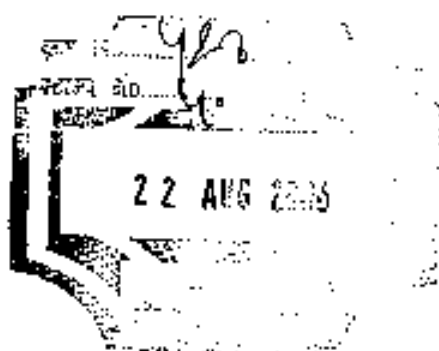
080834

(22)

अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कसया है तथा न ही नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी असीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह

दिनांक २८/०६/२००६







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080833

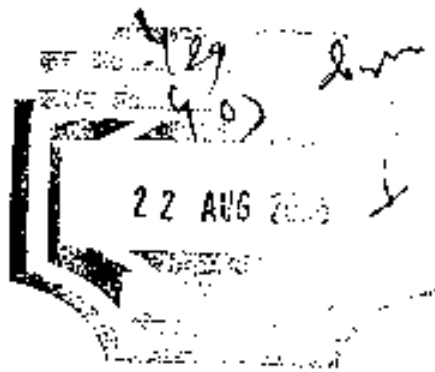
(23)

विवाद अमान्य व निश्चयाधीन होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरार अवल व उनके
वारिसान होंगे ।

सिद्धांतमाला



—





42 HSB 2555

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080832

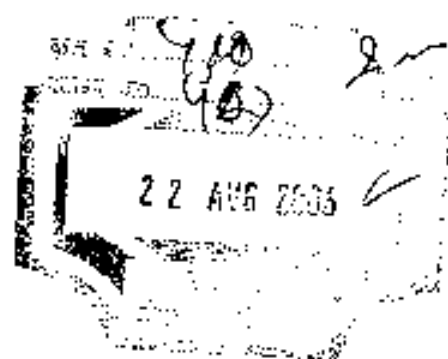
(24)

(12) हम विकेलागण को विक्रय पत्र मे वर्णित उक्त खाता नं० 12 के खसरा नं० 43 रकबई 1.9730 हैक्टेयर का 1/3 भाग रकबई 0.65766 हैक्टेयर स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काबीपुरा परगना छामन तहसील व जिला गाजियाबाद के अपने

[Handwritten signature]

मे० ए० आ० सि०







22 AUG 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

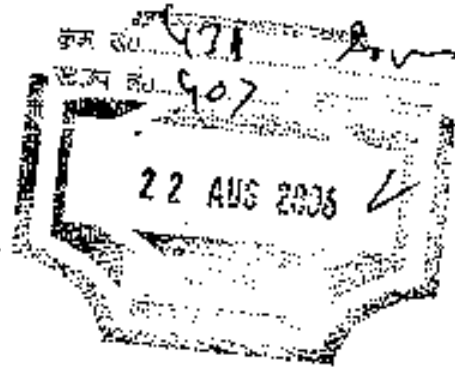
080831

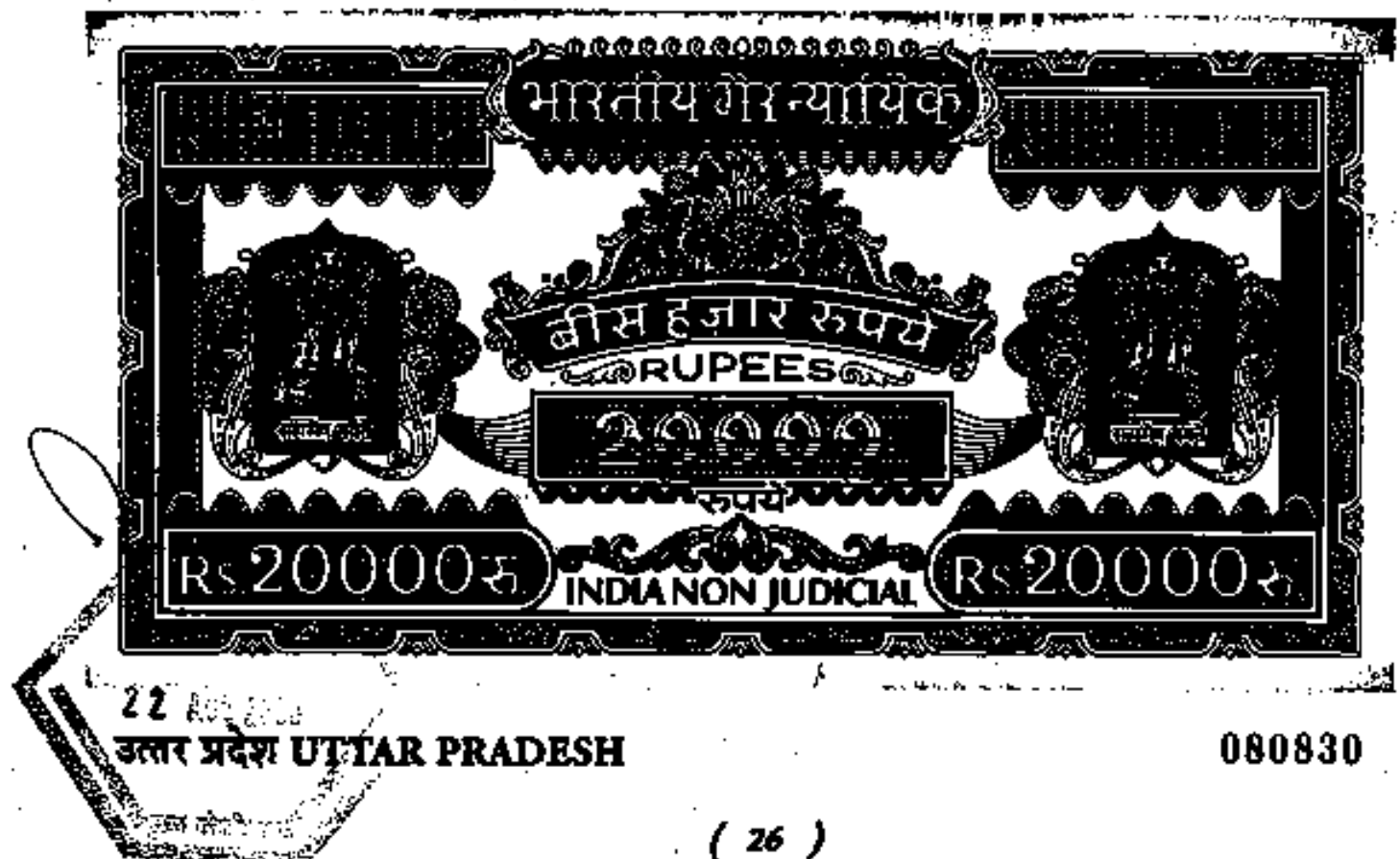
(25)

हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेतागण को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही

मोहम्मद खान



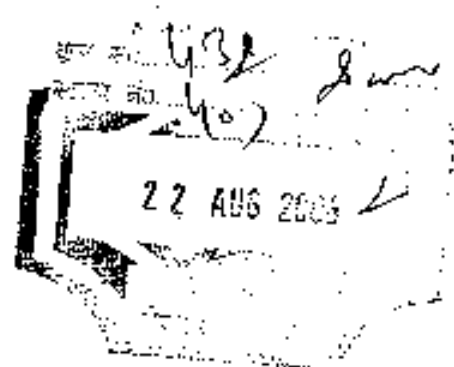




(26)

है। अतः हम विक्रेतागण ने अपनी सुरी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरबान्सी, राह बुद्धि व स्वस्थ हस्तियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से भव समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, फारस भरवाई, हर

नि.ग.म.व.शि.रु





22 AUG 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080829

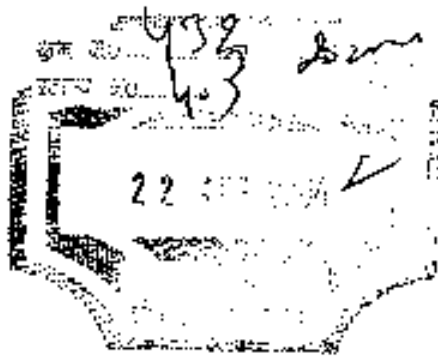
(27)

किस्म कच्चा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 62,87,293/-रुपये (षासठ लाख सत्सत्सी हजार दो सौ तिरानवें रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 31,43,646.50/-रुपये(इकत्तीस लाख तिरालीस हजार छः सौ छियालीस रुपये पचास पैसे मात्र) होते हैं के एवज में

[Handwritten signature]

निष्ठा कानूनी प्रिंटर







212 AUG 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

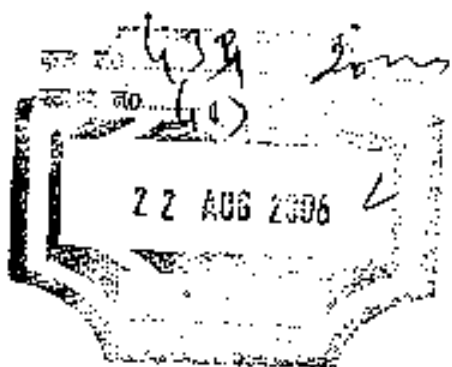
080828

(28)

हाथ फरीक होयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स पाईन रिजल स्टेट प्रा० लि० पंजीकृत
कार्यालय 33, कम्युनिटी सेंटर एन.एफ.सी. नई दिल्ली द्वारा श्री राकेश उप्पल पुत्र
श्री ब्रजमोहन उप्पल निवासी-ए-334, शिवालीक नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी

निष्ठा भूषण







22 AUG 2005

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

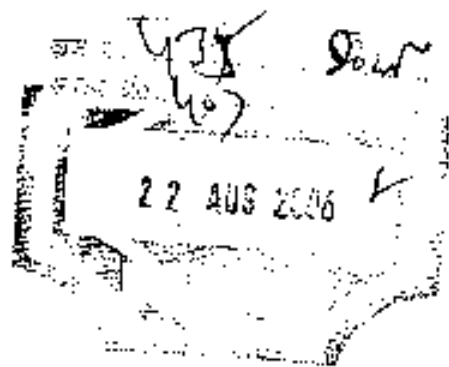
080827

(29)

द्वितीय पक्ष को बेच कर दिया है यानि कर्ज बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नहीं रही है।

मि. अ. अ. अ. अ. अ.







22 AUG 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

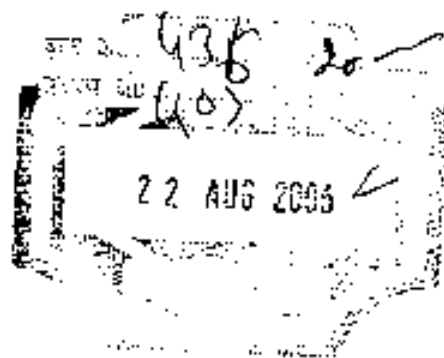
080826

(30)

(13) विक्रय भूमि का कब्जा चौके पर ज़ेला का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके ज़ेला पूर्णतः मालिक काबिज बखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसियत मालकाना प्रयोग में लावे।

निष्कर्षात्







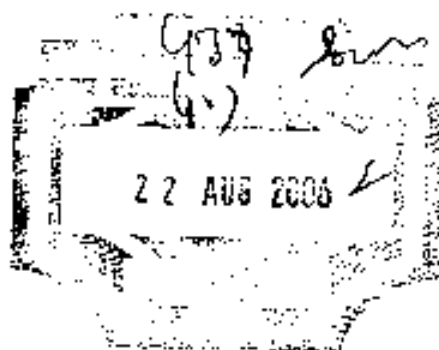
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

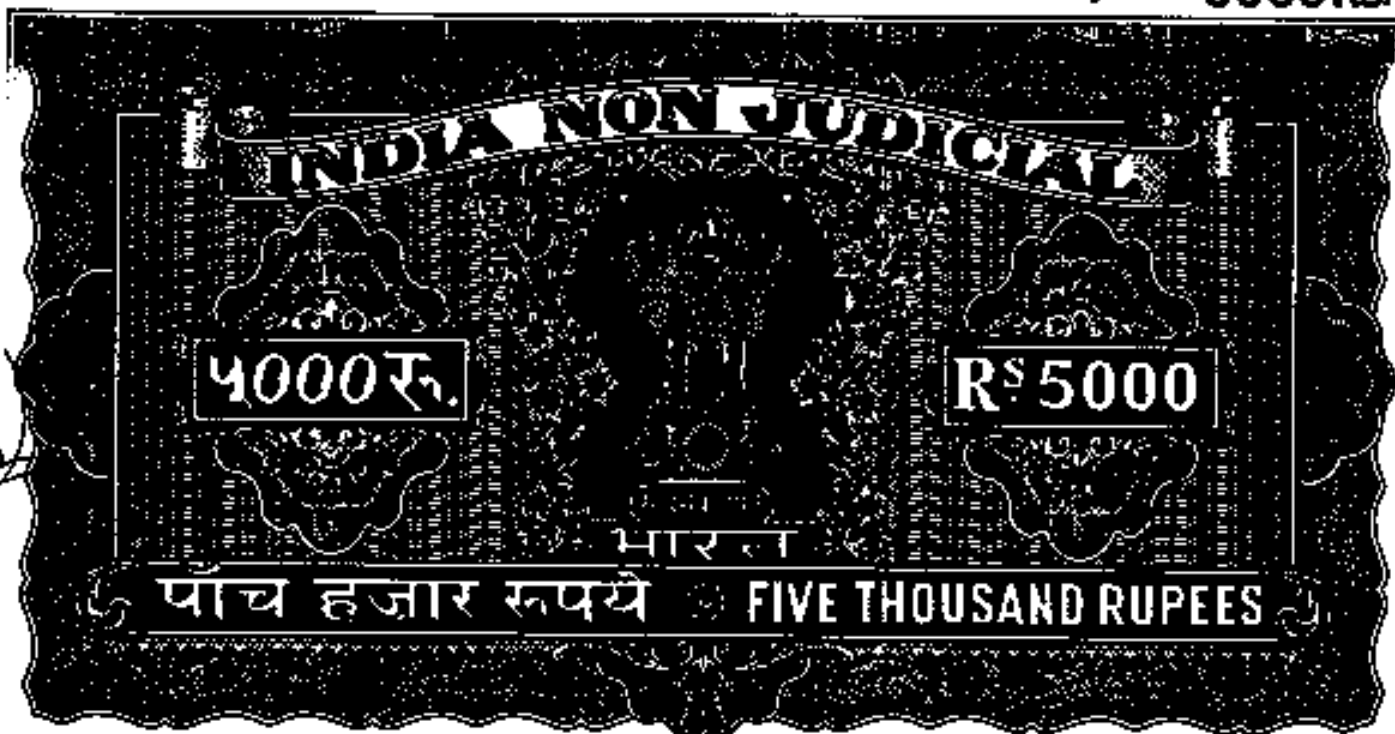
080825

(31)

(14) विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दखिल खारिज मालकागजात में करकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुद्रा फरीक अव्वल से करा सकते हैं, मुद्रा फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

सि. ०१३ अमल दि. १३





21399

(32)

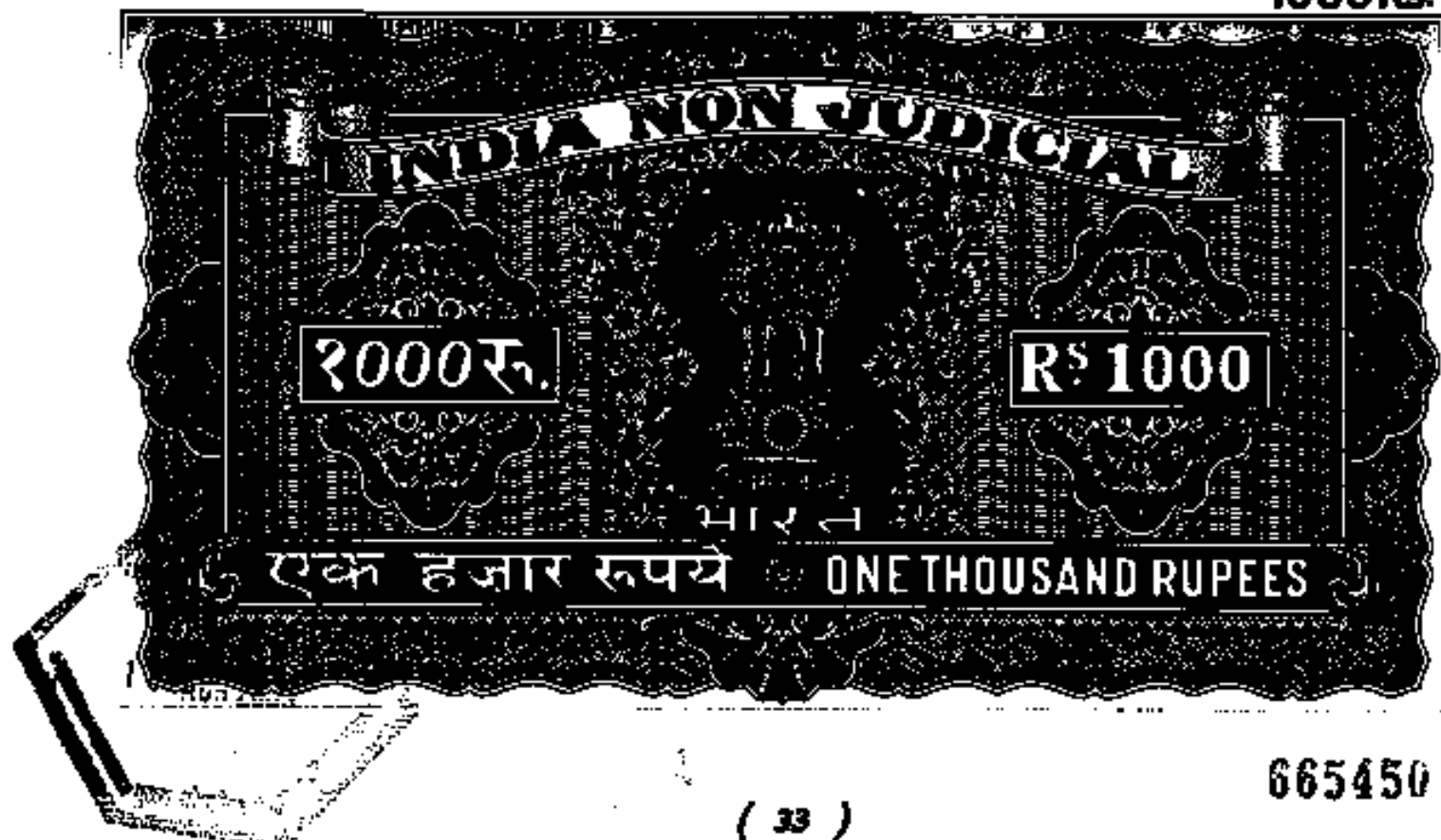
(15) अतः अब विक्रय परचात विक्रीत भूमि की मलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व खरिस्तान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

सि. १३३३३३३३



22 AUG 2008





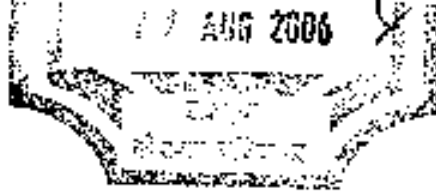
(33)

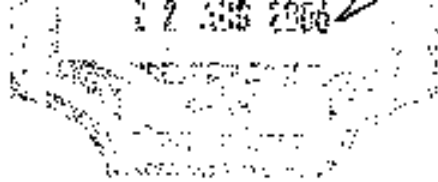
665450

(16) खिरीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अजबल/खिरीत की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार जेता या स्थानापन को अपने पास से उखा करना पड़ा अथवा खिरीत के अन्नधिकार से या वारिसान खिरीत की दवेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से खिरीत भूमि फुल अथवा उसका कोई अंश जेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दरा के

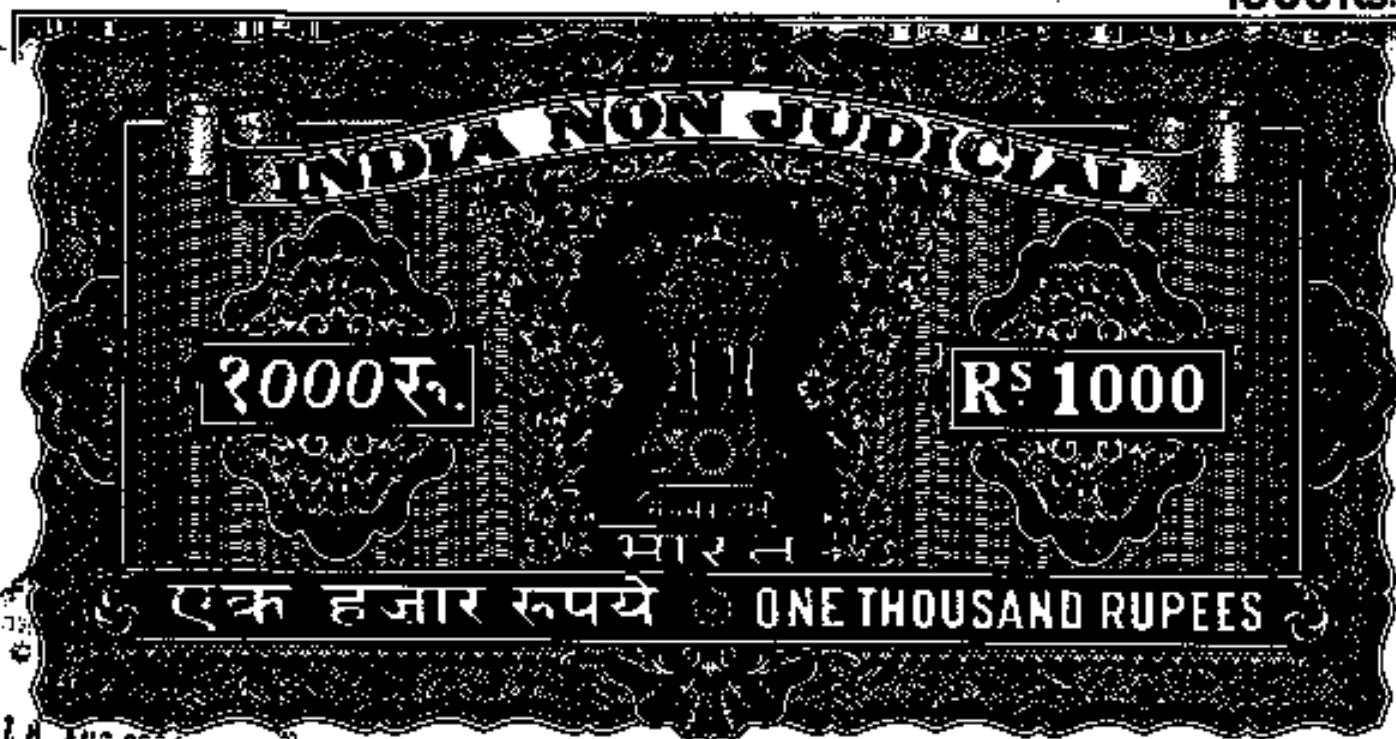
निशाना







1000Rs.



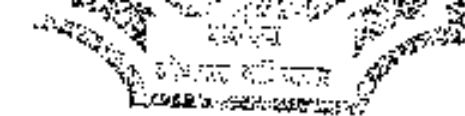
665448

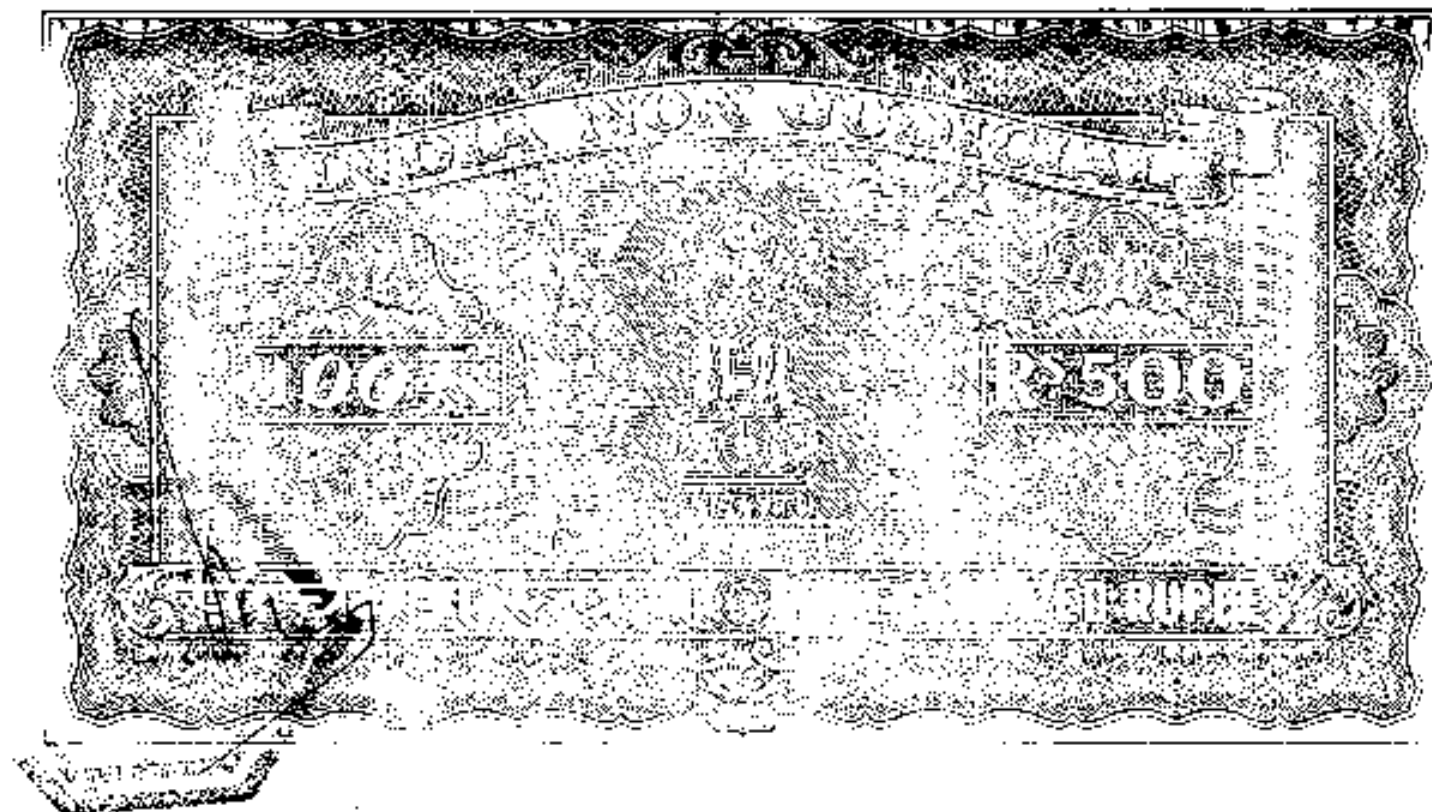
(35)

वाली भूमि की धनराशी को मय हर्षे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता चारिखन की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अवकल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

सिद्धांत चालीशिल







(36)

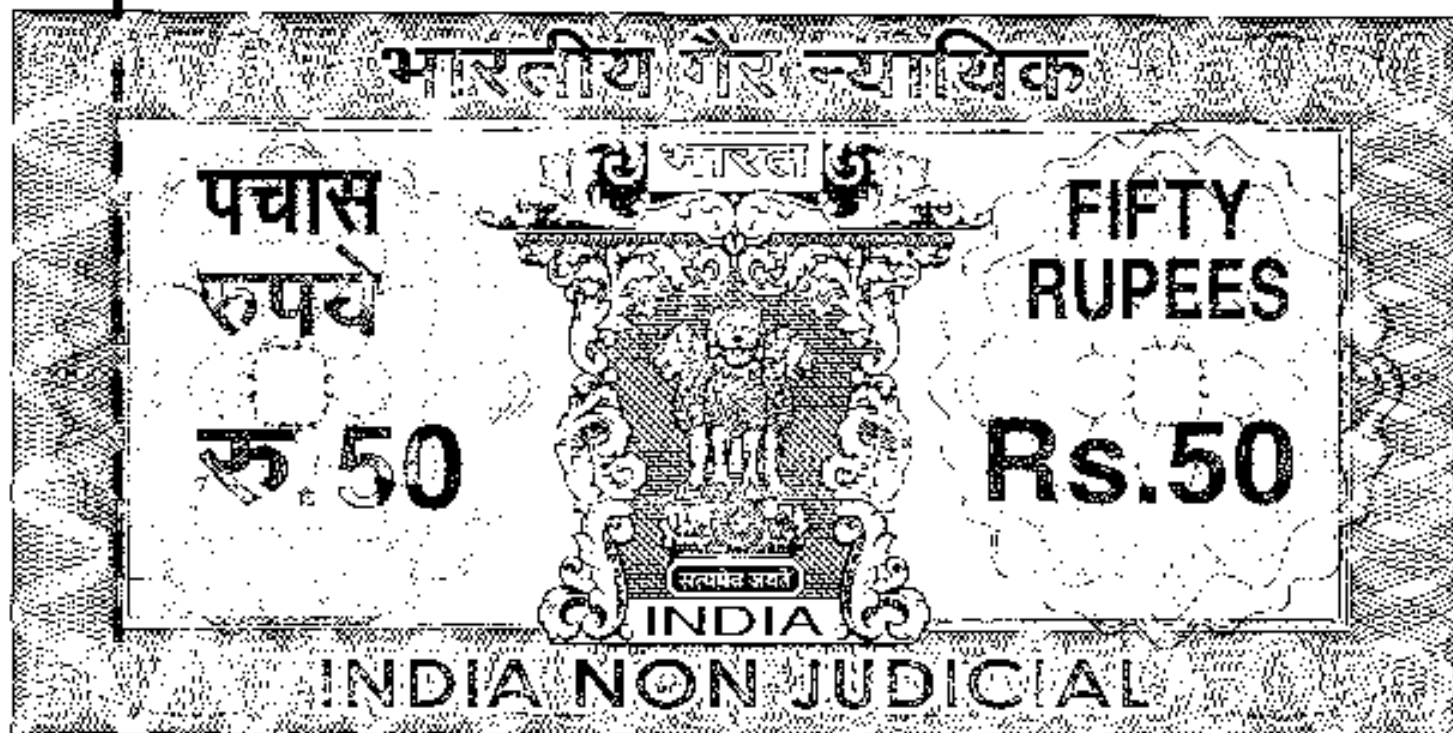
(17) यह कि फरीक अख्तर ने विक्रीत भूमि के स्वामित्व से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (मूल बैनामा पूर्ण श्रृंखला, दान पत्र, वसीयत, मूल पट्टा, व न्यायालय के आदेश की प्रमादित प्रति आदि) जो विक्रेता के पास उपलब्ध है, उन्हें क्रेता को सौंप दिया है ।

सि. वि. अ. भ. वि. वि.



मध्य प्रदेश सरकार
 राजधानी, भोपाल
 दिनांक ०१/०५/२०२०





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 781664

(37)

(18) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

श्री ० अचल सिंह



[Handwritten signature]

403



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 781663

(38)

(19) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

निम्नलिखित

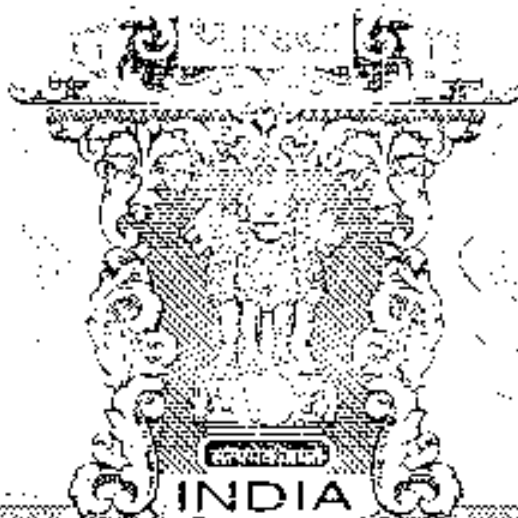




भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹ 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 781662

(39)

(20) विक्रेता ने अपने 1/3 भाग की विक्रीत भूमि रकबई 0.65766 हैक्टेयर, खाता नं० 12 के खसरा नं० 43 स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

दि० १० अक्टूबर १९८०



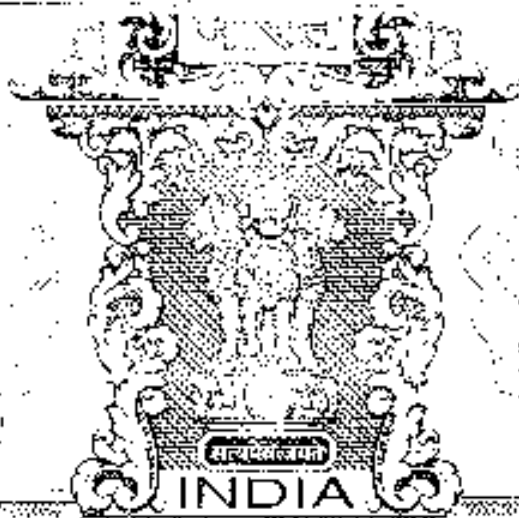
45
22 AUG 2004



भारतीय नैऋत्यार्थिक

पचास
रुपये

₹.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 781661

000010 (40)

(अ) बैंक कोटेक/महिन्द्रा बैंक लि० शाखा डी-960 फैंडस कालौनी, नई दिल्ली का बैंक नम्बर 000011 दिनांकित 26.05.2006 अंकन 6,28,761/-रुपये (छः लाख अट्ठाईस हजार सात सौ इक्कसठ रू० मात्र) फरीक अखिल द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

रि० प्र० अ० ल० प्रि०



५०३

✓



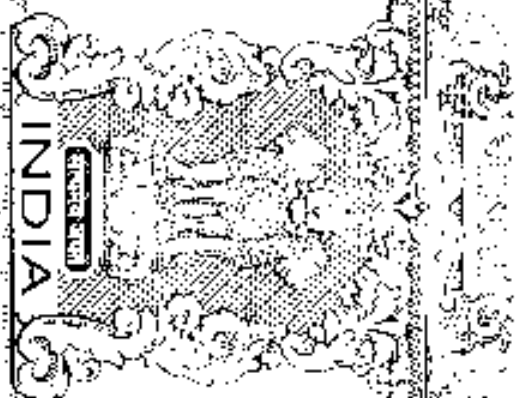
भारतीय नैसर्गिक

पचास
रुपये

FIFTY
RUPEES

रु. 50

RS. 50



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 781660

(41)

(ख) कोर्टक महिन्द्रा बैंक लि० शाखा डी-960 फेडस कालीनी, नई दिल्ली बैंक
नं० 000028 दिनांक 18.08.2006 कुल धनराशि रु० 56,58,532/- (छपन लाख
अठ्ठावन हजार पाँच सौ बत्तीस रुपये) फरीक अक्कल द्वारा सम्पूर्ण धनराशि

दिनांक 08/08/2006

Legendra Singh
Advocate
08/08/2006



Legendra Singh
Advocate
08/08/2006





५५५
५५५
५५५

507

R

आज दिनांक 24/08/2006 को

वही सं 1 जिल्द सं 1594

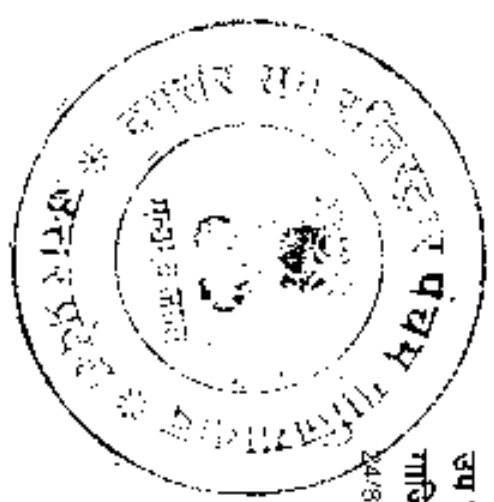
पृष्ठ सं 159 से 205 पर क्रमांक 5764

रजिस्ट्रीकरण किया गया।


के. के. यादव

उप निदेशक (पंचम)
गाजियाबाद

24/8/2006



इन्त गाव खसरा ग्राम कमलासिंह परगना दक्षिण तहसील ... जिला ... बाबत साल 1413 पं०

अनुसूची संख्या	खतोमी खाले के वर्गीकरण	खतोमी खाले की संख्या	खतोमी खाले के वर्गीकरण (भाग 1) के अनुसार खातेदार का नाम	खतोमी के (भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई का साधन	बुवि (करतले वाली भूमि) का क्षेत्रफल										पिस्तान खतों के रकबा के अनुसार आनुषंगिक भूमि का क्षेत्रफल		प्रत्येक खेत की पूरे मते हुये पृथक् की संख्या और चिह्न		
						खरीफ			रबी			जयस								
						करतल का नाम	सीमा हस्ता	अन्य सौभाग्य	करतल का नाम	सीमा हस्ता	अन्य सौभाग्य	करतल का नाम	सीमा हस्ता	अन्य सौभाग्य	करतल का नाम	सीमा हस्ता	अन्य सौभाग्य		भूमि की शेखी	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	?
3	1973	12	कमलासिंह	—	रकबा	करतल का नाम	1.900	—	जयस	1.973	—	—	—	—	1.973	—	—	—	—	?
			चरणसिंह	—	—	करतल का नाम	0.473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			दलीपसिंह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

16/7/06
...

क्र.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	भूमि (करासी वाली भूमि) का लेखांकन												पिछाने वाले के अनुसार		अंशों के पुरे बटों की संख्या और विवरण
						खरीद			बंदी			आगत			मौका	अन्य	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल		
						करासी का नाम	सीमा हुआ	अन्य सीमा	फसल का नाम	सीमा हुआ	अन्य सीमा	करासी का नाम	सीमा हुआ	अन्य सीमा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
13	1973	12	कमल सिंह चरण सिंह दलीप सिंह	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
इस लेखांकन में 16/7/06																				

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 16010210112

ग्राम का नाम : सादिकपुर/काजीपुरा

परगना : डासना

तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद

फसली वर्ष : 1414-1419

भाग : 1

खाना खतौनी क्रमा संख्या	खानेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्राप्ति होने का फसली वर्ष	खाने के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खानेदार द्वारा देव मस्तगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनके संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

श्रेणी : I-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00012	कमलसिंह चरनसिंह दत्तोचरसिंह	मुख्तारसिंह मुख्तारसिंह मुख्तारसिंह	ग्रामवासी ग्रामवासी ग्रामवासी	पृ.1384	43	1.9730		आदेशानुसार श्रीमान राधेनिधि द्वारा पठित 11/12/05-06-07 खाना सं 12 व 17 पर चरन सिंह मृतक के स्थान पर किरन पाल सिंह पुत्र चरन सिंह निधन का नाम बतौर चारिज इज हो। (होएआरके)	
								आदेशानुसार श्रीमान नरसिंहमहोपाध्याय 176/ 11.12.2006 को आदेश हुआ कि खाना सं 12 के खसरा नं 43 मी 0 रकबा 1.9730 हे 0 मी 0 97.35 पैसे से विक्रेता किरनपाल सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम सादिकपुर काजीपुरा का नाम बकदर भाग से खारिज करके केला है 0 उपल चडडा भाईटेक डवलपसं श्री 0 लि 0 द्वारा राकेश उपल पुत्र ब्रजमोहन उपल निवासी ए-334 शिवालिक नई दिल्ली का नाम बतौर बेनामा दर्ज होवे (होएआरके)	
								आदेशानुसार श्रीमान नागेशमहोपाध्याय 188/ 11.12.2006 को आदेश हुआ कि खाना सं 12 के खसरा नं 43 रकबा 1.9730 हे 0 मी 0 97.35 पैसे से विक्रेता कमल सिंह पुत्र मुख्तार सिंह निवासी ग्राम का नाम बकदर भाग से खारिज करके केला है 0 पाईन रिएल स्टेट डवलपर्स प्रा 0 लि 0 33 कम्पनीटी सेन्टर एन 0 एफ 0 सी 0 नई दिल्ली द्वारा राकेश उपल पुत्र ब्रजमोहन उपल निवासी ए-334 शिवालिक नई दिल्ली का नाम बतौर बेनामा दर्ज होवे (होएआरके)	
								आदेशानुसार श्रीमान नरसिंहमहोपाध्याय 190/ 11.12.2006 को आदेश हुआ कि खाना सं 12 के खसरा नं 43 रकबा 1.9730 हे 0 मी 0 97.35 पैसे से विक्रेता कमल सिंह पुत्र मुख्तार सिंह निवासी ग्राम का नाम बकदर भाग से खारिज करके केला है 0 पाईन रिएल स्टेट डवलपर्स प्रा 0 लि 0 33 कम्पनीटी सेन्टर एन 0 एफ 0 सी 0 नई दिल्ली द्वारा राकेश उपल पुत्र ब्रजमोहन उपल निवासी ए-334 शिवालिक नई दिल्ली का नाम बतौर बेनामा दर्ज होवे (होएआरके)	

सहस्रील : गाजियाबाद

भाग : 1

नरेश गंग लेखपाल
काठमाडौं माजिदियाद